



झारखण्ड सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

01 अप्रैल, 2018 से
नेशनल ई-वे बिल
होगा अनिवार्य

सभी करदाताओं / परिवहनकर्ताओं / व्यक्तियों के लिए National E-Way Bill के संबंध में आवश्यक जानकारी

- राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी प्रयोजन (अन्तर्राज्यीय मालों की आपूर्ति / आयात / निर्यात / माल वापसी / मेला या प्रदर्शनी) हेतु मालों के निर्बाध रूप से अन्तर्राज्यीय परिवहन के लिए दिनांक 01.04.2018 से **National e-way bill** लागू किया जायेगा। **National e-way bill** रू0 50,000 /- या उससे अधिक के मालों के अन्तर्राज्यीय परिवहन के लिए निर्गत करना अनिवार्य होगा, परन्तु 50,000 से कम मूल्य के मालों के लिए भी इसे निर्गत किया जा सकेगा।
- **National e-way bill** पोर्टल www.ewaybillgst.gov.in से जेनरेट किया जाना है।
- निबंधित करदाता एवं परिवहनकर्ता को इसके लिए पोर्टल पर स्वयं को रजिस्टर करना होगा, जबकि अनिबंधित परिवहनकर्ता एवं व्यक्ति को पोर्टल पर स्वयं को **Enroll** करते हुए इसे जेनरेट करना होगा।
- **National e-way bill** का पोर्टल वर्तमान में कार्यरत है इस लिए निबंधन / नामांकन का कार्य दिनांक 01.04.2018 से पूर्व पूरा कर लिया जाना श्रेयष्कर होगा।
- **National e-way bill** मालों के आपूर्तिकता, प्राप्तकर्ता अथवा परिवहनकर्ता में से किसी के द्वारा भी जेनरेट किया जा सकता है।
- यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाईन है एवं इसके लिए कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है।
- **National e-way bill** लागू हो जाने के पश्चात् देश के विभिन्न राज्यों के अलग-अलग ई-वे बिल / सुविधा / रोड परमिट जेनरेट करने की आवश्यकता नहीं होगी।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी वाणिज्य-कर अंचल कार्यालय से अथवा विभागीय वेबसाइट www.jharkhandcomtax.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। इस कार्य हेतु विभागीय हेल्डेस्क कार्यरत है, जिसका टेलीफोन नंबर- 0651-6600500 एवं कॉल सेन्टर का टॉल फ्री नंबर -18003457020 (24x7) है।

वाणिज्य-कर विभाग
झारखण्ड, राँची।